

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक प. 6(15)शिक्षा/ग्रुप-3/2019

जयपुर, दिनांक: 19 OCT 2019

-: आदेश :-

बॉली (सवाईमाधोपुर) में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. बामनवास (सवाईमाधोपुर) के स्थान पर विभागीय बजट मद 2202-03-103-02-00 में बॉली (सवाईमाधोपुर) में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर स्वीकृति प्रदान करते हुए नवीन राजकीय महाविद्यालय, बॉली (सवाईमाधोपुर) में निम्नानुसार 21 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या (कला संकाय, 2 वर्ग)
1	प्राचार्य	01
2	सहायक आचार्य	07
3	पुस्तकालयध्यक्ष	01
4	शारीरिक शिक्षक	01
5	सहायक लेखाधिकारी-1	01
6	सहा. प्रशासनिक अधिकारी	01
7	आशुलिपिक	01
8	वरिष्ठ सहायक	01
9	कनिष्ठ सहायक	02
10	प्रयोगशाला सहायक	01
11	प्रयोगशाला वाहक	01
12	बुक लिफ्टर	01
13	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02
कुल योग		21

2. भवन निर्माण के लिए प्रस्तावित बजट प्रावधान राशि रुपये 600.00 लाख पर अस्वीकृति व्यक्त की जाती है। कॉलेज भवन निर्माण के प्रकरणों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में आयुक्त, कॉलेज शिक्षा सर्वप्रथम DMFT CSR MLALAD MPLAD Fund से नवीन राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण के पूर्ण प्रयास किया जाना सुनिश्चित करें।


3. उक्त 21 नवीन पदों के सृजन के स्वरूप आवृत्तक एवं अनावृत्तक व्यय हेतु वित्तीय प्रावधान स्वीकृति के प्रस्ताव के संबंध में उक्तानुसार नवीन पदों के सृजन के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आयुक्तालय के बजट मद में उपलब्ध प्रावधान से कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु आवश्यक राशि का आंकलन कर प्रस्ताव बीएफसी वर्ष 2020-21 एवं संशोधित अनुमान 2019-20 के यथा समय वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।



कृ.पू.उ.


यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 131900204 दिनांक 01.10.2019 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(डॉ. राष्ट्रदीप यादव)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को मय उनकी पत्रावली क्रमांक एफ 20(101/30)आयो/आकाशि/2019-20 मय नोटशीट के।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग।
11. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 20 (101/05)/आयो/आकाशि/19-20/861

दिनांक: 11 अक्टूबर, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 महालेखाकार, लेखा एव हक, राजस्थान, जयपुर।
- 2 संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 6 निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7 संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 8 संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, जयपुर।
- 9 कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय कोटा को भेज कर लेख है कि कृपया घोषणा की अनुपालना में खोले गये नवीन विषयो का सम्बद्धता बिना विलम्ब शुल्क जारी करवाने का कष्ट करें।
- 10 निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
- 11 वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- 12 संयुक्त निदेशक एच.आर.डी/प्रशासन कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि महाविद्यालय में स्वीकृत पदो को भरने की कार्यवाही अविलम्ब करावें।
- 13 संयुक्त निदेशक (अकादमी) कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि महाविद्यालय में प्रवेश संबधित कार्य सम्पन्न करवाने की कार्यवाही अविलम्ब करावें।
- 14 प्राचार्य /नोडल अधिकारी संबधित राजकीय महाविद्यालय।
- 15 वेब प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



• संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा राज.जयपुर